Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

54-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 16, 2023 (PHALGUNA 25, 1944 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 16th March, 2023

No. 5-HLA of 2023/113/4606.— The Haryana School Education (Amendment), Bill, 2023 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 5-HLA of 2023

THE HARYANA SCHOOL EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Haryana School Education Act, 1995.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana School Education (Amendment) Act, 2023. Short title.

2. In section 2 of the Haryana School Education Act, 1995 (hereinafter called the principal Act),- Amendment of section 2 of Haryana Act 12 of 1999.

(i) clauses (b) and (c) shall be omitted; and

(ii) item (ii) of clause (d) shall be omitted.

3. Section 6 of the principal Act shall be omitted. Omission of section 6 of Haryana Act 12 of 1999.

4. Sub-sections (1) and (2) of section 7 of the principal Act shall be omitted. Amendment of section 7 of Haryana Act 12 of 1999.

5. Sections 8, 9, 10 and 11 of the principal Act shall be omitted. Omission of sections 8, 9, 10 and 11 of Haryana Act 12 of 1999.

w

Amendment of section 16 of Haryana Act 12 of 1999.

6. Sub-sections (1) and (2) of section 16 of the principal Act shall be omitted.

Substitution of section 17 of Haryana Act 12 of 1999.

7. For section 17 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"17. School funds.- (1) In every recognized school, there shall be a fund, to be called the School Fund which shall include the following:-

(a) fee;

(b) any charges and payment which may be realised by the school for other specified purposes; and

(c) any other contributions, endowments, gifts and the like.

(2) (a) Income derived by recognised school by way of fees shall be utilised only for such educational purposes, as may be prescribed; and

(b) charges and payments realised and all other contributions, endowments and gifts received by the school shall be utilised only for the specific purpose for which they were realised or received. The unspecified gifts shall also be used for academic purpose.

(3) The Managing Committee of every recognised school shall file every year with the Director such duly audited financial and other returns as may be prescribed and every such return shall be audited by such authority, as may be prescribed.".

Amendment of section 18 of Haryana Act 12 of 1999.

8. In sub-section (1) of section 18 of the principal Act, the word "aided" shall be omitted.

Amendment of section 21 of Haryana Act 12 of 1999.

9. Clause (a) of sub-section (4) of section 21 of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 24 of Haryana Act 12 of 1999.

10. In sub-section (2) of section 24 of the principal Act,-

(i) clause (k) shall be omitted; and

(ii) in clause (p), for the words "by an aided school", the words "by a school" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The majority of employees on the sanctioned posts of the aided schools have been appointed in government schools in 2017-18 as per the provisions of Haryana Voluntary State Education Service Rules, 2017. Only few employees of such aided schools have been left in these aided schools as they have not consented to join in govt. schools. As per the provisions in the Act department is giving aid to the tune of 75% of the salary for these employees. These schools also have employees on unsanctioned/unaided posts and they are claiming equal pay for equal work from the department. Many such cases are pending in the court which may create financial liability on State Exchequer if such cases succeed in the Court of Law.

Provisions for the aided schools were made in the Act of 1995 because there was shortage of govt. schools in the State as per requirement and providing education to the resident children is prime responsibility of the State. As on present condition all geographical locations in State as required by various legal provisions are covered by govt. schools. Hence, there is no need of aided schools in the State.

KANWAR PAL,
School Education Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 16th March, 2023.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2023 का विधेयक संख्या 5 एच.एल.ए.

हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023
हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995, को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है।

1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,–

(i) खण्ड (ख) तथा (ग) का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ii) खण्ड (घ) की मद (ii) का लोप कर दिया जाएगा।

1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 6 का लोप।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 का लोप कर दिया जाएगा।

1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 7 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) तथा (2) का लोप कर दिया जाएगा।

1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 8, 9, 10 तथा 11 का लोप।

5. मूल अधिनियम की धारा 8, 9, 10 तथा 11 का लोप कर दिया जाएगा।

1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 16 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (1) तथा (2) का लोप कर दिया जाएगा।

1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 17 का प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"17. विद्यालय की निधियां.– (1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में, विद्यालय निधि के रूप में ज्ञात एक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगाः–

(क) फीस ;

(ख) कोई प्रभार तथा भुगतान, जो अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विद्यालय द्वारा वसूल किए जाएं; तथा

(ग) कोई अन्य अंशदान, विन्यास, उपहार तथा सदृश ।

(2) (क) मान्यताप्राप्त विद्यालय द्वारा फीस के माध्यम से प्राप्त की गई आय, केवल शैक्षिक प्रयोजनों, जो विहित किए जाएं, हेतु उपयोग की जाएगी; तथा

(ख) विद्यालय द्वारा वसूले गए प्रभार तथा भुगतान तथा प्राप्त किए गए सभी अन्य अंशदान, विन्यास तथा उपहार, केवल विशिष्टि प्रयोजनों, जिनके लिए वे वसूले या प्राप्त किए गए हैं, हेतु उपयोग किए जाएंगे। अविनिर्दिष्ट उपहारों का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु भी उपयोग किया जाएगा।''।

(3) प्रत्येक मान्यताप्राप्त विद्यालय की प्रबन्धक समिति, प्रतिवर्ष सम्यक् रूप से संपरीक्षित वित्तीय तथा अन्य विवरणियां, जो विहित की जाएं, निदेशक को दायर करेगी तथा प्रत्येक ऐसी विवरणी की संपरीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जो विहित किया जाए।''।

8. मूल अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा (1) में, "सहायताप्राप्त" शब्द का लोप कर दिया जाएगा। 1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 18 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (4) के खण्ड (क) का लोप कर दिया जाएगा। 1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 21 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (2) में,– 1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 24 का संशोधन।

(i) खण्ड (ट) का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ii) खण्ड (त) में, "किसी सहायताप्राप्त विद्यालय द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "किसी विद्यालय द्वारा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2017–18 में सहायता प्राप्त विद्यालयों के स्वीकृत पदों पर कार्यरत अधिकांश कर्मचारियों को राजकीय विद्यालयों में नियुक्त किया जा चुका है। ऐसे सहायता प्राप्त विद्यालयों में केवल कुछ कर्मचारी इन सहायता प्राप्त विद्यालयों में शेष रह गए है, जिन्होंने राजकीय विद्यालयों में कार्यग्रहण करने हेतु अपनी सहमति नहीं दी थी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभाग इन कर्मचारियों के वेतन के लिए 75 प्रतिशत की दर से सहायता दे रहा है। इन विद्यालयों में भी अस्वीकृत/गैर सहायता प्राप्त पदों पर कार्यरत कर्मचारी है और वे इस विभाग से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे है। ऐसे कई मामले न्यायालय में लम्बित है, यदि ये मामले कानून के न्यायालय में सफल हो जाते है तो राज्य राजकोष पर वित्तीय देनदारी बन सकती है।

सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए 1995 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था क्योंकि राज्य में आवश्यकता अनुसार राजकीय विद्यालयों की कमी थी और निवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी है। वर्तमान स्थिति के अनुसार विभिन्न कानूनी प्रावधानों की अपेक्षानुसार राज्य में सभी भौगोलिक स्थानों को राजकीय विद्यालयों द्वारा कवर किया गया है। इसलिए, राज्य में सहायता प्राप्त विद्यालयों की कोई आवश्यकता नहीं है।

कंवर पाल,
स्कूल शिक्षा मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 मार्च, 2023.

आर० के० नांदल,
सचिव।

10277—H.V.S.—H.G.P., Pkl.